



एन टी पी सी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
NTPC Limited
(A Govt of India Enterprise)
(Formerly National Thermal Power Corporation Ltd)

रिहंद / Rihand

संदर्भ संख्या /Ref No: 070/मा०सं०-आर&आर/2022

दिनांक / Date: 18.05.2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
17 राणा प्रताप मार्ग
उ०प्र० लखनऊ ।

विषय:-

Regularization of 555.759 ha of diverted forest land for the construction of Rihand Super Thermal Power Project under Renukoot Forest Division in Sonebhadra district of Uttar Pradesh .

संदर्भ:-

- 1-भारत सरकार नई दिल्ली का पत्रांक- 8-412/1989-एफ०सी० दिनांक- 23.08.1991
- 2-एफ०एस०सी० की बैठक दिनांक- 16.11.2017 के क्रम में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली का पत्र संख्या-8-412/1989- एफ०सी०(पी०टी०) दिनांक- 06.12.2017
- 3-भारत सरकार का उक्त पत्र दिनांक- 06.12.2017 के क्रम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में रिहन्द सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, रिहन्दनगर-बीजपुर, जिला-सोनभद्र के वन भूमि हस्तान्तरण के संबंध में दिनांक-14.12.2017 को सम्पन्न हुयी बैठक के कार्यवृत्त संबंधी पत्रांक-1607/11-सी-बैठक दिनांक-12/14.12.2017
- 4-आपका पत्रांक- 3052/11-सी लखनऊ दिनांक- 27.04.2022

महोदय,

विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करे । प्रसंगत प्रकरण में एफ०एस०सी० की बैठक दिनांक-16.11.2017 के क्रम में भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक- 06.12.2017, व मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी बैठक दिनांक- 14.12.2017 में लिये गये निणय की बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नानुसार है :-

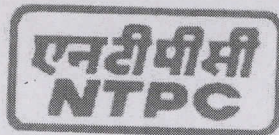
क्र० सं०	मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी बैठक दिनांक- 14.12.2017 में लिये गये निणय में उल्लिखित बिन्दु ।	अनुपालन आख्या

रिहन्द सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, पो.आ.-रिहन्दनगर, जिला-सोनभद्र (उ.प्र.) पिन : 231 223 टेली / Tel : 05446-242021

Rihand Super Thermal Power Project P.O. Rihand Nagar, Distt. Sonebhadra (U.P.) 231 223 Fax:05446-242115

पंजीकृत कार्यालय: एनटीपीसी भवन, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7 इन्स्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

Regd. Office : NTPC Bhawan, Scope Complex, 7 Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi-110 003



एन टी पी सी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
NTPC Limited
(A Govt of India Enterprise)
(Formerly National Thermal Power Corporation Ltd)

रिहंद / Rihand

1	2	3
1	भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक- 23.08.1991 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त 744 हे० वन भूमि में से एन०टी०पी०सी० द्वारा उपयोग में लाई जा रही है वन भूमि का मौके पर चिन्हांकन करते हुये कुल वास्तविक संशोधित वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के नवीन दिशा निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन प्रस्ताव एन०टी०पी०सी० द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा, जिसमें वर्तमान दिशा निर्देशों के अनुसार उक्त वन भूमि का जियो रिफरेंस डिजिटल मैप, के०एम०एल० फाईल की सी०डी० एवं एस०ओ०आई० टोपोशीट आदि सहित पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक- 23.08.1991 द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश में उल्लिखित 744 हे० वन भूमि में से एन०टी०पी०सी० द्वारा वर्तमान में 555.759 हे० वन भूमि उपयोग में लाई जा रही है जिसका मौके पर चिन्हांकन करते हुए संशोधित वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के नवीन दिशा निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या - FP/UP/THERMAL/36097/2018 एनटीपीसी द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। तदक्रम में मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ द्वारा समय-समय पर जारी किए गए EDS Compliance से संबंधित त्रुटियों को संशोधित कर एवं मांगे गए दस्तावेजों को पुनः परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ कार्यालय में अनुमोदन हेतु लम्बित है। अनुमोदनोपरांत प्रयोक्ता अभिकरण (एनटीपीसी) द्वारा चेक लिस्ट के अनुसार प्रस्ताव की हार्ड कापी रेनुकूट वन प्रभाग में उपलब्ध कराया जाएगा।
2	एन०टी०पी०सी० द्वारा उपरोक्तानुसार उपयोग में लाई जा रही संशोधित चिन्हित वन भूमि का Land use define करेंगे	इस बिन्दु के अनुपालन में एन०टी०पी०सी० द्वारा उपरोक्तानुसार उपयोग में लाई जा रही संशोधित चिन्हित 555.759 हे० वन भूमि का Land use define किया जा चुका है। प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ कार्यालय में अनुमोदन हेतु लम्बित है। अनुमोदनोपरांत प्रयोक्ता अभिकरण (एनटीपीसी) द्वारा चेक लिस्ट के अनुसार प्रस्ताव की हार्ड कापी रेनुकूट वन प्रभाग में उपलब्ध कराया जाएगा।

रिहंद सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, पो.आ.-रिहंदनगर, जिला-सोनभद्र (उ.प्र.) पिन : 231 223 टेली / Tel: 05446-242021

Rihand Super Thermal Power Project P.O.: Rihand Nagar, Distt.: Sonbhadra (U.P.) 231 223 Fax: 05446-242115

पंजीकृत कार्यालय: एनटीपीसी भवन, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7 इन्स्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

Regd. Office : NTPC Bhawan, Scope Complex, 7 Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi-110 003



रिहंद / Rihand

3	एन0टी0पी0सी0 द्वारा उपयोग में लाई जा रही संशोधित वन भूमि के अतिरिक्त उपयोग में ना लाई जा रही वन भूमि को वन विभाग के पक्ष में वापस करनी होगी, जिस हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ के दिशा निर्देशों के अनुसार मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर द्वारा हस्तान्तरण की कार्यवाही सम्पन्न करायी जायेगी ।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि एन0टी0पी0सी0 द्वारा उपयोग में लाई जा रही 555.759 हे0 (भारतीय वन अधिनियम 1297 की धारा-4 के अन्तर्गत विज्ञापित) वन भूमि के अतिरिक्त उपयोग में ना लाई जा रही (744-555.759) = 188.241 हे0 (भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-20 में विज्ञापित) निम्न वन भूमि, का एन0टी0पी0सी0 के नामित अधिकारियों के साथ विभाग के क्षेत्रीय वन अधिकारी जरहा एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी मयोरपुर द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया । <table><tr><th>क्र0 सं0</th><th>ग्राम का नाम</th><th>क्षेत्रफल(हे0में)</th><th>जी0पी0एस0लोकेशन के अनुसार मौके पर बनाये गये कुल पैचो की संख्या</th></tr><tr><td>1</td><td>मिटिहिनी</td><td>27.726</td><td>01</td></tr><tr><td>2</td><td>खम्हरिया</td><td>13.001</td><td>01</td></tr><tr><td>3</td><td>झीलो</td><td>147.514</td><td>01से 06 तक</td></tr><tr><td colspan="2">योग-</td><td>188.241</td><td></td></tr></table> संयुक्त निरीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि एन0टी0पी0सी0 द्वारा उपयोग में ना लाई जा रही उक्त 188.241 हे0 धारा-20 में विज्ञापित वन भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है तथा वनीकरण हेतु उपयुक्त है । उक्त 188.241 हे0 वन भूमि को एन0टी0पी0सी0 द्वारा दिनांक- 30.03.2022 को वन विभाग के पक्ष में वापस किया गया है । प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न है ।	क्र0 सं0	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल(हे0में)	जी0पी0एस0लोकेशन के अनुसार मौके पर बनाये गये कुल पैचो की संख्या	1	मिटिहिनी	27.726	01	2	खम्हरिया	13.001	01	3	झीलो	147.514	01से 06 तक	योग-		188.241	
क्र0 सं0	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल(हे0में)	जी0पी0एस0लोकेशन के अनुसार मौके पर बनाये गये कुल पैचो की संख्या																			
1	मिटिहिनी	27.726	01																			
2	खम्हरिया	13.001	01																			
3	झीलो	147.514	01से 06 तक																			
योग-		188.241																				
4	एन0टी0पी0सी0 द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले संशोधित प्रस्ताव में शुद्ध वर्तमान मूल्य को पूर्व में जमा की गई शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशि से समायोजित किया जायेगा ।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि एन0टी0पी0सी0 द्वारा वर्तमान में संशोधित प्रस्ताव में प्रभावित 555.759 हे0 वन भूमि का एन0पी0वी0 (शुद्ध वर्तमान मूल्य) का आंकलन एवं 555.759 हे0 के सापेक्ष 280.508 हे0 वन भूमि के संबंध में पूर्व में जमा किये गये एन0पी0वी0 की धनराशि जिसका समायोजन किया जाना है उसका विवरण एवं समायोजित धनराशि के उपरान्त जमा किये जाने योग्य अवशेष धनराशि जो 555.759 हे0 वन भूमि के संबंध में भारत सरकार द्वारा संशोधित सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश जारी होने के उपरान्त जमा किया जायेगा, उसका विवरण निम्नानुसार है :- <table><tr><td>प्रभावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हे0में)</td><td>भारत सरकार पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज जोरबाग रोड नई दिल्ली का पत्र दिनांक- 06.01. 2022 द्वारा "इको श्रेणी तृतीय" के अन्तर्गत "खुला</td><td>555.759 हे0 वन भूमि का निर्धारित एन0पी0वी0 की धनराशि</td><td>555.759 हे0 के सापेक्ष 280.508 हे0 वन भूमि के संबंध में एन0टी0पी0सी0 द्वारा पूर्व में जमा की गयी एन0पी0वी0 की धनराशि (रु0 में)</td><td>एन0टी0पी0सी0 द्वारा जमा की जाने वाली अवशेष धनराशि (रु0 में)</td></tr></table>	प्रभावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हे0में)	भारत सरकार पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज जोरबाग रोड नई दिल्ली का पत्र दिनांक- 06.01. 2022 द्वारा "इको श्रेणी तृतीय" के अन्तर्गत "खुला	555.759 हे0 वन भूमि का निर्धारित एन0पी0वी0 की धनराशि	555.759 हे0 के सापेक्ष 280.508 हे0 वन भूमि के संबंध में एन0टी0पी0सी0 द्वारा पूर्व में जमा की गयी एन0पी0वी0 की धनराशि (रु0 में)	एन0टी0पी0सी0 द्वारा जमा की जाने वाली अवशेष धनराशि (रु0 में)															
प्रभावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हे0में)	भारत सरकार पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज जोरबाग रोड नई दिल्ली का पत्र दिनांक- 06.01. 2022 द्वारा "इको श्रेणी तृतीय" के अन्तर्गत "खुला	555.759 हे0 वन भूमि का निर्धारित एन0पी0वी0 की धनराशि	555.759 हे0 के सापेक्ष 280.508 हे0 वन भूमि के संबंध में एन0टी0पी0सी0 द्वारा पूर्व में जमा की गयी एन0पी0वी0 की धनराशि (रु0 में)	एन0टी0पी0सी0 द्वारा जमा की जाने वाली अवशेष धनराशि (रु0 में)																		

रिहंद सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, पां.आ.-रिहंदनगर, जिला-सोनभद्र (उ.प्र.) पिन : 231 223 टेली / Tel: 05446-242021

Rihand Super Thermal Power Project P.O. Rihand Nagar, Distt.: Sonabhadra (U.P.) 231 223 Fax:05446-242115

पंजीकृत कार्यालय: एनटीपीसी भवन, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7 इन्स्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

Regd. Office : NTPC Bhawan, Scope Complex, 7 Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi-110 003



रिहंद / Rihand

		वन" के लिए निर्धारित एन0पी0वी0 की दर (प्रति हे0)											
	555.759	957780 / -	532294855.02 या 532294855 / -	25,80,67,360 / -	27,42,27,495 / -								
	(रू0 सत्ताईस करोड़ बयालिस लाख सत्ताईस हजार चार सौ पन्चानवे मात्र)												
5	संशोधित वन भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव में भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार क्षतिपूर्ति हेतु दूगने अवतन वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की 10 वर्षों के अनुरक्षण सहित आवश्यक धनराशि वर्तमान संशोधित दर के अनुसार मॉग की जायेगी, जिसमें एन0टी0पी0सी0 द्वारा पूर्व में जमा की गई क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि को समायोजित किया जायेगा।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि एन0टी0पी0सी0 द्वारा वर्तमान में संशोधित प्रस्ताव में प्रभावित 555.759 हे0 वन भूमि के दूगने अवतन वन भूमि 555.759 X 2 = 1111.518 या 1112 हे0 के सापेक्ष 561 हे0 अवतन वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण की निर्धारित धनराशि (रू0 4969500 + 32738115 = रू0 37707615/-) एन0टी0पी0सी0 द्वारा प्रभाग में पूर्व में उपलब्ध कराया गया। वनीकरण कार्य हेतु पूर्व में उपलब्ध कराये गये क्षतिपूरक वनीकरण की धनराशि जिसका समायोजन किया जाना है उसका विवरण एवं समायोजित धनराशि के उपरान्त जमा किये जाने योग्य अवशेष धनराशि जो 555.759 हे0 वन भूमि के संबंध में भारत सरकार द्वारा संशोधित सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश जारी होने के उपरान्त जमा किया जायेगा, उसका विवरण निम्नानुसार है :- <table><tr><td>प्रभावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हे0में)</td><td>प्रभावित वन भूमि 555.759 हे0 के दूगने अवतन वन भूमि 555.759 X 2 = 1111.518 या 1112 हे0 पर क्षतिपूरक वनीकरण की 10 वर्षीय योजना के अनुसार रू0 135170/- प्रति हे0 की दर से निर्धारित धनराशि (1112X135170)=150309040 / -</td><td>1112 हे0 अवतन वन भूमि के सापेक्ष 561 हे0 अवतन वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु एन0टी0पी0सी0द्वारा पूर्व में जमा की गयी धनराशि</td><td>एन0टी0पी0सी0 द्वारा वर्तमान में जमा की जाने वाली निर्धारित अवशेष धनराशि (रू0 में)</td></tr><tr><td>555.759</td><td>15,03,09,040 / -</td><td>3,77,07,615 / -</td><td>11,26,01,425 / -</td></tr></table> (रू0 ग्यारह करोड़ छब्बीस लाख एक हजार चार सौ पचीस मात्र)				प्रभावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हे0में)	प्रभावित वन भूमि 555.759 हे0 के दूगने अवतन वन भूमि 555.759 X 2 = 1111.518 या 1112 हे0 पर क्षतिपूरक वनीकरण की 10 वर्षीय योजना के अनुसार रू0 135170/- प्रति हे0 की दर से निर्धारित धनराशि (1112X135170)=150309040 / -	1112 हे0 अवतन वन भूमि के सापेक्ष 561 हे0 अवतन वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु एन0टी0पी0सी0द्वारा पूर्व में जमा की गयी धनराशि	एन0टी0पी0सी0 द्वारा वर्तमान में जमा की जाने वाली निर्धारित अवशेष धनराशि (रू0 में)	555.759	15,03,09,040 / -	3,77,07,615 / -	11,26,01,425 / -
प्रभावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हे0में)	प्रभावित वन भूमि 555.759 हे0 के दूगने अवतन वन भूमि 555.759 X 2 = 1111.518 या 1112 हे0 पर क्षतिपूरक वनीकरण की 10 वर्षीय योजना के अनुसार रू0 135170/- प्रति हे0 की दर से निर्धारित धनराशि (1112X135170)=150309040 / -	1112 हे0 अवतन वन भूमि के सापेक्ष 561 हे0 अवतन वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु एन0टी0पी0सी0द्वारा पूर्व में जमा की गयी धनराशि	एन0टी0पी0सी0 द्वारा वर्तमान में जमा की जाने वाली निर्धारित अवशेष धनराशि (रू0 में)										
555.759	15,03,09,040 / -	3,77,07,615 / -	11,26,01,425 / -										
6	एन0टी0पी0सी0 द्वारा संशोधित वास्तविक क्षेत्रफल के अनुसार प्रस्तुत प्रस्ताव का सम्बन्धित	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि एन0टी0पी0सी0 द्वारा प्रस्तावित 555.759 हे0 वन भूमि के संबंध में वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत जिलाधिकारी सोनभद्र के पत्रांक- 246 दिनांक-04.10.2019 द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया है। उक्त प्रमाण पत्र को एन0टी0पी0सी0 द्वारा परिवेष पोर्टल पर अपलोड किया गया है। प्रमाण पत्र की हार्ड कापी प्रस्ताव के साथ संलग्न करते हुए प्रभाग में उपलब्ध कराया जायेगा।											

रिहंद सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, पो.आ.-रिहंदनगर, जिला-सोनभद्र (उ.प्र.) पिन : 231 223 टेली / Tel: 05446-242021

Rihand Super Thermal Power Project P.O.: Rihand Nagar, Distt.: Sonbhadra (U.P.) 231 223 Fax:05446-242115

पंजीकृत कार्यालय: एनटीपीसी भवन, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7 इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

Regd. Office : NTPC Bhawan, Scope Complex, 7 Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi-110 003



एन टी पी सी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
NTPC Limited
(A Govt of India Enterprise)
(Formerly National Thermal Power Corporation Ltd)

रिहंद / Rihand

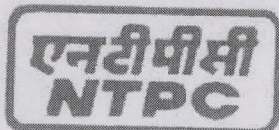
	जिलाधिकारी द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।							
7	एनटीपीसी के द्वारा उपरोक्त कार्यवाही के साथ भारत सरकार के पत्र दिनांक- 23.08.1991 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की पूर्ण बिन्दुवार अनुपालन आख्या भी प्रस्तुत की जायेगी।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार के पत्र दिनांक- 23.08.1991 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश में अधिरोपित शर्त एवं उसके अनुपालन की स्थिति निम्नानुसार है :- <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र० सं०</th><th>भारत सरकार के पत्र दिनांक- 23.08.1991 में अधिरोपित शर्तों का विवरण।</th><th>अनुपालन आख्या</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>The State Govt should identify 744 ha. of non -forest land immediately with comprehensive compensatory afforestation scheme and map. State Govt. should also take action for transfer of 744 ha of non-forest land in favour of forest Department. To be followed up with notification declaring the same as protected forest.</td><td>इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना हेतु स्वीकृत 744 हे० वन भूमि में सम्मिलित भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-4 के अन्तर्गत विज्ञापित 555.759 हे० वन भूमि में बन्दोबस्त की कार्यवाही के फलस्वरूप क्षेत्रफल में परिवर्तन होने के कारण प्रभाग द्वारा वस्तु स्थिति से उच्च स्तर पर अवगत कराने के क्रम में नोडल अधिकारी /वन संरक्षक वन उपयोग वृत्त उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या- 1026 दिनांक- 15.02.1994 द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में 280.508 हे० गैर वन भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने तथा प्रतिपूरक वनीकरण हेतु रू० 4969500/- की धनराशि उपलब्ध कराने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण को निर्देशित किया गया। उक्त निर्देशों के उपरान्त वन महानिरीक्षक एवं विशेष सचिव, भारत सरकार के</td></tr> </tbody> </table>	क्र० सं०	भारत सरकार के पत्र दिनांक- 23.08.1991 में अधिरोपित शर्तों का विवरण।	अनुपालन आख्या	1	The State Govt should identify 744 ha. of non -forest land immediately with comprehensive compensatory afforestation scheme and map. State Govt. should also take action for transfer of 744 ha of non-forest land in favour of forest Department. To be followed up with notification declaring the same as protected forest.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना हेतु स्वीकृत 744 हे० वन भूमि में सम्मिलित भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-4 के अन्तर्गत विज्ञापित 555.759 हे० वन भूमि में बन्दोबस्त की कार्यवाही के फलस्वरूप क्षेत्रफल में परिवर्तन होने के कारण प्रभाग द्वारा वस्तु स्थिति से उच्च स्तर पर अवगत कराने के क्रम में नोडल अधिकारी /वन संरक्षक वन उपयोग वृत्त उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या- 1026 दिनांक- 15.02.1994 द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में 280.508 हे० गैर वन भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने तथा प्रतिपूरक वनीकरण हेतु रू० 4969500/- की धनराशि उपलब्ध कराने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण को निर्देशित किया गया। उक्त निर्देशों के उपरान्त वन महानिरीक्षक एवं विशेष सचिव, भारत सरकार के
क्र० सं०	भारत सरकार के पत्र दिनांक- 23.08.1991 में अधिरोपित शर्तों का विवरण।	अनुपालन आख्या						
1	The State Govt should identify 744 ha. of non -forest land immediately with comprehensive compensatory afforestation scheme and map. State Govt. should also take action for transfer of 744 ha of non-forest land in favour of forest Department. To be followed up with notification declaring the same as protected forest.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना हेतु स्वीकृत 744 हे० वन भूमि में सम्मिलित भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-4 के अन्तर्गत विज्ञापित 555.759 हे० वन भूमि में बन्दोबस्त की कार्यवाही के फलस्वरूप क्षेत्रफल में परिवर्तन होने के कारण प्रभाग द्वारा वस्तु स्थिति से उच्च स्तर पर अवगत कराने के क्रम में नोडल अधिकारी /वन संरक्षक वन उपयोग वृत्त उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या- 1026 दिनांक- 15.02.1994 द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में 280.508 हे० गैर वन भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने तथा प्रतिपूरक वनीकरण हेतु रू० 4969500/- की धनराशि उपलब्ध कराने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण को निर्देशित किया गया। उक्त निर्देशों के उपरान्त वन महानिरीक्षक एवं विशेष सचिव, भारत सरकार के						

रिहंद सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, पो.आ.-रिहंदनगर, जिला-सोनभद्र (उ.प्र.) पिन : 231 223 टेली / Tel: 05446-242021

Rihand Super Thermal Power Project P.O.: Rihand Nagar, Distt.: Sonebhadra (U.P.) 231 223 Fax: 05446-242115

पंजीकृत कार्यालय: एनटीपीसी भवन, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7 इन्स्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

Regd. Office : NTPC Bhawan, Scope Complex, 7 Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi-110 003



एन टी पी सी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
NTPC Limited
(A Govt of India Enterprise)
(Formerly National Thermal Power Corporation Ltd)

रिहंद / Rihand

			पत्र दिनांक- 10.04.1997 द्वारा यह निर्देशित किया गया कि भारत सरकार केन्द्रीय सेक्टर की परियोजनाओं में जो क्षतिपूरक वनीकरण होना है व दुगुने अवतन वन भूमि पर होना है । भारत सरकार के उक्त आदेश जारी होने के उपरान्त प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गैर वन भूमि विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया ।
		2	The User agency will have to transfer the cost of compensatory afforestation in favour of Forest Deptt. इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रश्रुत प्रकरण में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु कुल रु0 3,77,07,615/- जमा किया गया है जिसमें रु0 4969500/- की धनराशि सम्मिलित है ।
8	भारत सरकार के पत्र दिनांक- 06.12.2017 में दिये गये निर्देश के क्रम में एन0टी0पी0सी0 को निर्देशित किया गया कि वन सलाहकार समिति के निर्णय के अनुपालन में एष डाईक को छोड़े गये खनन क्षेत्रों में डम्प करने से हेवी मेटल के रिहन्द जलाशय में लीच करने की सम्भावना पर एक अध्ययन National Economic and	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि एन0टी0पी0सी0 द्वारा National Economic and Environmental Research Institute, Nagpur से रिपोर्ट प्राप्त करते हुए उस रिपोर्ट को परिवेष पोर्टल पर अपलोड किया गया है । रिपोर्ट की हार्ड कापी प्रस्ताव के साथ संलग्न करते हुए प्रभाग में उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है ।	

रिहन्द सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, पो.आ.-रिहन्दनगर, जिला-सोनभद्र (उ.प्र.) पिन : 231 223 टेली / Tel : 05446-242021

Rihand Super Thermal Power Project P.O.: Rihand Nagar, Distt.: Sonbhadra (U.P.) 231 223 Fax:05446-242115

पंजिकृत कार्यालय: एनटीपीसी भवन, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7 इन्स्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

Regd. Office : NTPC Bhawan, Scope Complex, 7 Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi-110 003



एन टी पी सी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
NTPC Limited
(A Govt of India Enterprise)
(Formerly National Thermal Power Corporation Ltd)

रिहंद / Rihand

Environmental Research Institute, Nagpur	से तत्काल कराते हुये उनकी रिपोर्ट इस कार्यालय के माध्यम से भारत सरकार , नई दिल्ली को उपलब्ध कराया जायेगा ।
---	---

भवदीय

(अनित कुमार)
उप महाप्रबन्धक(मा०स०)
एन०टी०पी०सी० रिहन्द
सोनभद्र(उ०प्र०)

अनित कुमार / ANIT KUMAR
उप महाप्रबन्धक (मा० स०)/DGM (H.R.)
एनटीपीसी लि० रिहंद/NTPC Ltd. Rihand
सोनभद्र (उ०प्र०)/Sonebhadra (U.P.) 231223

रिहन्द सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, पो.आ.-रिहन्दनगर, जिला-सोनभद्र (उ.प्र.) पिन : 231 223 टेली / Tel : 05446-242021

Rihand Super Thermal Power Project P.O.: Rihand Nagar, Distt.: Sonebhadra (U.P.) 231 223 Fax:05446-242115

पंजीकृत कार्यालय: एनटीपीसी भवन, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7 इन्स्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

Regd. Office : NTPC Bhawan, Scope Complex, 7 Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi-110 003